23/2/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी अनुपस्थित। श्रेया वादी एवं वकील वादी को आवाजे लगवाई गई। उनकी तरफ से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। लिहाजा वादी का वाद अपील खारिज एवं आम पैरवी खारिज किया जाता है। प्रकाश नश्तर से कथन किया जाकर। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/2/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर